# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

कमांक : 53

दिनांक : 23.05.2025

## संशोधित कार्यालय आदेश

प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 43 दिनांक 19.04.2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर माह मई, 2025 में **दिनांक 29.05.2025** के राजकीय अवकाश हेतु राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी **श्री यतीन्द्र चौधरी,** न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा को रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है किन्तु श्री यतीन्द्र चौधरी आर.जे.एस. का वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थान न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा के स्थान पर न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), राजसन्द के पद पर कर दिया गया है इसलिए दिनांक 29.05.2025 के राजकीय अवकाश हेतु राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी **श्री यतीन्द्र चौधरी,** विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट प्रकरण), राजसन्द को रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

पूर्व का शेष आदेश यथावत रहेगा।

—sd—
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**राजसमन्द**

कमांक : स्था0/2025/500

दिनांक : 23.05.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित किया जावे।
4. इन्चार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय राजसमन्द को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई—कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

Mamta Jain
23/5/2025

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**राजसमन्द**